संख्या:39/2018/1157जेएल/22-3-18-100(33)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 15 जून, 2018***

विषय: जिला कारागार, फैजाबाद में निरूद्ध विचाराधीन बंदी राजेश विक्रम सिंह पुत्र श्री विश्वनाथ सिंह को जिला कारागार, प्रतापगढ़ में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-20249/सामा-1(3)/फै0परि0/(टी-8)2018, दिनांक 04-06-2018 में गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, फैजाबाद में निरूद्ध विचाराधीन बंदी राजेश विक्रम सिंह पुत्र श्री विश्वनाथ सिंह को जिला कारागार, प्रतापगढ़ में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या:39/2018/1157जेएल(1)/22-3-18-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. **निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।**
2. **अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।**
3. **जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद एवं प्रतापगढ़।**
4. **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद एवं पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।**
5. **वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, फैजाबाद एवं अधीक्षक, जिला कारागार, प्रतापगढ़।**
6. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in